

आदेश पत्रक

(देखें झोमिलेख हस्तक 194 का नियम 129)

वाद सं० -

01/2024-25

वाद का प्रकार :-

भूमि विवाद (सीमांकन)

आदेश का क्रम
सं० और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

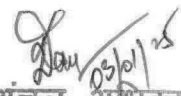
आदेश पर की
गई कार्रवाई
कोर में टिप्पणी

03.01.25

श्री लिलाम्बर नामक, पिता - स्व० निनकु नामक, ग्राम - बनगांव,
पं० - चडरीमुठा द्वारा मंचल कार्यालय, कुरेडा में आवेदन दिया गया
है। आवेदक के स्वतंत्र मूंस सौजा - बनगांव, खाता सं० - 148, प्लॉट
सं० - 1752, एक्का - 0.16 स० पर विपक्षी श्री बलराम यादव उर्फ माकडु
को गंगाराम यादव उर्फ डुड, पिता - स्व० रात्रुधन यादव, ग्राम - बनगांव
द्वारा सर्वेक्ष रूप से देखल कर खेती - बारी की जाती है।

मतः उक्त मूंस को सर्वेक्ष देखलकारों से मुक्त कर
देखल पिलाने का अनुरोध करते हैं साथ ही मंचल समीन से
सीमांकन कराना चाहते हैं।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रसारी मंचल निरीक्षक जांच करते
हुए प्रतिवेदन दिनांक - 10.01.2025 तक सहोदस्ताक्षरी को प्रसर्पित करें।

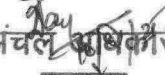

अंचल अधिकारी
कुरडेग

10.01.25

झोमिलेख उपस्थापित

आवेदक - लिलाम्बर नामक, पिता - स्व० निनकु नामक, ग्राम - बनगांव,
पं० - चडरीमुठा एवं द्वितीय पक्ष श्री बलराम यादव उर्फ माकडु को
गंगाराम यादव उर्फ डुड, पिता - स्व० रात्रुधन यादव, ग्राम - बनगांव
थाना - कुरेडा को सुनवाई हेतु खास नोटिस निर्मित करें।

झोमिलेख दिनांक - 21.01.25 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी
कुरडेग

21.01.25

झोमिलेख उपस्थापित

नोटिस तामिला प्राप्त सुनवाई हेतु आवेदक श्री लिलाम्बर नामक
उपस्थित, उपस्थित पत्र सलग्न। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित
झोमिलेख दिनांक - 28.02.25 को उपस्थापित करें।


21/01/25

अंचल अधिकारी
कुरडेग

28.02.25

सम्मिलेख उपस्थापित

नोटिस तामिल प्राप्त, सुनवाई हेतु श्री लीलाम्बर नायक, उपस्थित।
द्वितीय पक्ष - श्री बलराम माधव उर्फ माकडु, उपस्थित।

उभय पक्षों द्वारा लिखित बयान दिया गया है, कि मौजा - बनगांव
खेता सं० - 148, प्लॉट सं० - 1752, एक्का - 0.16 ए० का सीमांकन करने
में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। आवेदक लीलाम्बर नायक,
पिता - स्व० नितकु नायक, ग्राम - बनगांव को ऑनलाईन सीमांकन हेतु
आवेदन करने का निर्देश दिया गया। आवेदक भूमि सर्वे खातेबान
में रेंजान डोम वॉ अडु डोम वॉ खुशुसा डोम वॉ चुंदा डोम, पेशरान-
दुख डोम के नाम पर काममें है। आवेदक रजिस्ट्री पक्ष सं० -
659/दिनांक - 17.06.2008 द्वारा एक्वीर कर दाखिल - खातेबान वाद सं० -
29/R27/2008-09, दिनांक - 29.09.2008 द्वारा नामांतरण कराते हुए
सालाना सालगुजदारी आदा करते हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूमि में दावे
के संबंध में साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गई।
आवेदक लीलाम्बर नायक, पिता - स्व० नितकु नायक, ग्राम - बनगांव
को आवेदक भूमि का सीमांकन हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने
हेतु निर्देश दिया गया।

सम्मिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाते जाती है।


28/02/25
अंचल अधिकारी
कुरुडेग